

सहायक अभिलेख
RE: 31/1/2011
31/1/2011



Executive Engineer
PMGSY, PIU-II

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के किमी0 -2 से बघर मोटर मार्ग (लम्बाई 9.934 किमी0) के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का आनापत्ति प्रमाण -पत्र एवं भूमिधर होने का प्रमाण पत्र

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम सभा बघर की 3.0780 हे0 नाप भूमि, 3.9504 हे0 सिविल भूमि प्रस्तावित है। उक्त भूमि को निर्माण हेतु प्रयोग करने में ग्राम बघर के भूमिधरों को एवं राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

भूमिधर

(सुनि. ६७७१)

ADDITIONAL ASSISTANT ENGINEER
RES, PMGSY (PIU-II)
KAPKOT (BAGESHWAR)

राजस्व विभाग
नाम पद एवं मुहर सहित

तहसीलदार
कपकोट

जिलाधिकारी
राजस्व अधिकारी
बागेश्वर.

Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)

(वै० स्स० टोलिया)

उप जिलाधिकारी
कपकोट (बागेश्वर)

Assistant Engineer
PMGSY, PIU II
Kapkot (Bageshwar)

Executive Engineer
PMGSY, PIU II
Kapkot (Bageshwar)

प्रभुजीव कलाशेखरी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रमाण-पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि उक्तगमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटरी मोटर मार्ग से वरपर तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु इस मार्ग से लाभान्वित होने वाले समस्त ग्रामवासी सहमत है। इस मोटर मार्ग के समर्थन में कोई विवाद नहीं है।

- | | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 1) <u>कुमार</u> | 24. देव राय | <u>Baghel</u> |
| 2) <u>गणेश सिंह</u> | 25. अमर सिंह | |
| 3) <u>राम सिंह</u> | 26. जलवन्त राय | |
| 4) <u>Baghel</u> | 27. खीर सिंह | |

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

- (अनुशासनात्मक)
13. हस्ताक्षर
 14. हस्ताक्षर
 15. हस्ताक्षर
 16. हस्ताक्षर
 17. हस्ताक्षर
 18. हस्ताक्षर
 19. हस्ताक्षर
 20. हस्ताक्षर
 21. हस्ताक्षर
 22. हस्ताक्षर

28. हस्ताक्षर
29. हस्ताक्षर
30. हस्ताक्षर
31. हस्ताक्षर
32. हस्ताक्षर
33. हस्ताक्षर
34. हस्ताक्षर
35. हस्ताक्षर
36. हस्ताक्षर
37. हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

परियोजना का नाम

:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग, के कि०मी० 2 से से बघर मोटर मार्ग (लम्बाई 9.934 किमी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित मोटर मार्ग तोली मोटर मार्ग, के कि०मी० 2 से से बघर मोटर मार्ग (लम्बाई 9.934 किमी०) जिला-बागेश्वर में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 346/एम2-15/पी०एम०जी०एस०वाई०/०4 देहरादून दिनांक 29.03.2004 है। इस मार्ग को ग्रा०अ०से०, पी०एम०जी०एस०वाई० कपकोट के द्वारा निर्माण किया जाना है। इस मोटर मार्ग के निर्माण में 4.914 है० वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है। वनभूमि की आवश्यकता को न्यूनतम करने की उद्देश्य से 2.4150 हे० नाप भूमि इस प्रस्ताव में है। सम्बन्धित मोटर मार्ग में पड़ने वाले नापभूमि के कास्तकारों द्वारा नियमानुसार भूमि देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित कास्तकारों से नियमानुसार सहमति से अतः अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को स-समय उपलब्ध करा दी जायेगी एवं उपरोक्त मोटर मार्ग का निर्माण वांछित नहीं होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिला-बागेश्वर

ADDITIONAL ASSISTANT ENGINEER
RES. (PIU-II)
KAPKOT (BAGESHWAR)

Assistant Engineer
PMGSY, PIU II
Kapkot (Bageshwar)

Executive Engineer
PMGSY, PIU II
Kapkot (Bageshwar)

परियोजना का नाम

:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से बगर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त के क्रम में सधिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या : 3343/M-2-23/URRDA(WB)/08 दिनांक 3 मार्च 2009। उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट बगर की आवादी 1673 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहाँ युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में 9.934 कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई में नाप भूमि 2.4150 है०, सिविल सोयम भूमि 3.7324 है०, वन पंचायत भूमि 0.8064 है० एवं मलवा निस्तारण हेतु, नाप भूमि 0.6630 है०, सिविल सोयम भूमि 0.2180 है० एवं वन पंचायत भूमि 0.1580 है० प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

संरेखण नं० 2 को निरस्त कर संरेखण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं० 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 9.934 कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई में आने वाली आरक्षित वन भूमि, वन पंचायत भूमि सिविल सोयम भूमि एवं मलवा निस्तारण हेतु कुल भूमि 4.9148 है० प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन समरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०यू०-II पी०एम०जी०एस०वाई०,
कपकोट, बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०यू०-II पी०एम०जी०एस०वाई०,
कपकोट, बागेश्वर।

अधिसासी अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०यू०-II पी०एम०जी०एस०वाई०,
कपकोट, बागेश्वर।



उत्तरांचल शासन

ग्राम्य विकास शाखा

पी.एम.यू. (पी.एम.जी.एस.वाई)

संख्या PA-6 / एम2-15 / पी.एम.जी.एस.वाई / 04: देहरादून: दिनांक 29 मार्च 2004

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तरांचल।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तृतीय चरण (वर्ष 2003-04) में बनने वाले मार्गों में आने वाली भूमि को ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- शासन का पत्र सं0 211 / ग्रा.वि.वि. / पी.एम.जी.एस.वाई / देहरादून दिनांक 25.02.04।

महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तृतीय चरण वर्ष 2003-04 हेतु प्रस्तावित मार्गों की सूची आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गयी थी कि आप सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के साथ मार्ग समरेखण में पड़ने वाली वन भूमि / निजी भूमि / सिविल भूमि / वन पंचायत की भूमि को ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित सर्वे एजेन्सी के माध्यम से 15 दिवस के भीतर तैयार कराकर अवगत कराये। परन्तु आप द्वारा अभी तक उपरोक्त कार्य की प्रगति से शासन को अवगत नहीं कराया गया है।

आपसे पुनः अनुरोध है कि शीघ्रतीव्रता सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के साथ यात्रा कर संयुक्त निरीक्षण कराकर मार्ग में पड़ने वाली वन भूमि / निजी भूमि / सिविल भूमि / वन पंचायत भूमि को ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण का प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- 1. वर्ष 2003-04 में प्रस्तावित मार्गों
एवं सर्वे एजेन्सी की सूची।

भवदीया

(विभा. पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा

प्रतिलिपि:-

1. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे पी.एम.जी.एस.वाई के अन्तर्गत निर्मित होने वाले मार्गों में आने वाली आरक्षित वन भूमि को ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. समस्त अनुबन्धित सर्वे एजेन्सियों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अनुबन्धित समय सीमान्तर्गत मार्ग में पड़ने वाली भूमि को ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण हेतु सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी व प्रभागीय वनाधिकारी से सम्पर्क कर सौंपे गये कार्य को पूर्ण करने का कष्ट करें।

(सुपाहृष्टिपुमजिने)

Attended

Assistant Engineer

PMGSY, PIU II

Kepkot (Bageshwar)

सहायक अभियन्ता

ग्राम्य विकास शाखा

for 20

प्रमुख सचिव

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा

Assistant Engineer
PMGSY, PU II
Kaptol (Bagoohwar)

Cont. 2

उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण

(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अधिकरण)

आईटीओ पार्क के सामने, सदरमार्ग रोड, देहरादून

ईमेल : urdaa@yahoo.com

दूरभाष : 0135 - 2788884, फैक्स : 2789448

संख्या: 2343/एम0-2-23/यू0आर0आर0डी0ए0/08 दिनांक: 3 फरवरी, 2009

सेवा में,

अधिरासी अभियन्ता

पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0आई0)

बागेश्वर।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के सर्वेक्षण हेतु अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक 286 दिनांक 12 फरवरी, 2009

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-III में सरन से बघर मोटर मार्ग, फेज-V में बघर से तोली मोटर मार्ग तथा फेज-VI में रिखाडी से लाहुर मोटर मार्ग पूर्व में प्रस्तावित थे, परन्तु उक्त मार्गों का सर्वेक्षण भूस्थलन क्षेत्र में पड़ने के कारण निर्मित नहीं हो पाये हैं। सरन से बघर मोटर मार्ग को भारत सरकार की स्वीकृति के परभाव कतिपय कारणों से निरस्त किया गया था। वर्तमान में उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपने उपरोक्त तीनों मार्गों का लाभान्वित होने वाले याली उक्त बसावटों को संयोजकता प्रदान करने हेतु मार्गों की सर्वेक्षण किसी अन्यत्र स्थान से कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, बृकि बघर की जनसंख्या 1673 है तथा अन्य बसावटें भी 500+ की है। अतः इनको सड़क सम्पर्क से संयोजित किया जाना आवश्यक है। आपके उक्त प्रस्ताव के अनुसार इन बसावटों के संयोजन हेतु अन्यत्र स्थान से सर्वेक्षण करने की अनुमति प्रदत्त की जाती है। कृपया तदनुसार सर्वेक्षण कर डी0पी0आर0 प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

प्रमाण प्रमाण

अधीक्षण अभियन्ता

यू0आर0आर0डी0ए0

डा.पुनम

01/02/09

अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक - 448 / 11-5 / दि० 20 / 3/09

पत्रांक - 448 / 11-5 / दि० 20 / 3/09
प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता प्रभाग की सूचना
प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता प्रभाग का प्रवाही हेतु ज्ञेय।
मुद्रांकन पर अभिप्रेत हुआ बखसक

अधीक्षण अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

ADDITIONAL ASSISTANT ENGINEER
RES. PMGSY (PIU-4)
KAPKOT (BAGESHWAR)

2.13

परियोजना का नाम

:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग, के कि०मी० 2 से से बघर मोटर मार्ग (लम्बाई 9.934 किमी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पथ वृक्षारोपण हेतु व्यय वहन करने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पथ वृक्षारोपण पर होने वाला व्यय प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशक्ती अभियन्ता

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर ५१५१११, बागेश्वर

विभागाधिकारी
बागेश्वर

01-16-17

City

पथ वृक्षारोपण किये जानै का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोज्य एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

मोटर मार्ग का नाम- तोली मोटर मार्ग के कि.मी० २ से बगर मोटर मार्ग १५३८ है०।

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 200 पौध प्रति है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	संख्या	नपत			मात्रा	दर (रु.)	धनराशि
			ल०	चौ०	ऊँ०			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ट्री गार्ड बनाने हेतु गड़ड़ा खुदान का कार्य-	200	0.45	0.45	0.60	24.3	5.00	121.50
2	ट्री गार्ड बनाने हेतु पत्थरों का सिखोम टुलान (500 मी० से 600 मी०) दूरी तक पत्थर ढोकर ट्री गार्ड बनाना - घटाया ट्री गार्ड का भीतरी भाग -	200	3.14	0.95 0.50	1.00 1.00	566.77 157.00 409.77	148.00	60645.96
3	गड़ड़ा भरान का कार्य-	200	0.45	0.45	0.60	200	0.60	120.00
4	बैग पौधों की कीमत-	200	-	-	-	200	5.00	1000.00
5	बैग पौधों को ट्रक में लादना व उतारना-	200	-	-	-	200	1.6	320.00
6	बैग पौधों का सिखोम टुलान-	200	3.00	कि० मी० दूरी		200	0.75	150.00
7	बैग पौधों का पौधालय से ट्रक द्वारा टुलान-	200	30.00	कि० मी० दूरी		200	37.75	7550.00
8	बैग पौधों का रोपण व थलाबन्दी निराई-	200	-	-	-	200	0.90	180.00
9	गुड़ाई प्रथम वर्ष दो बार-	200	-	-	-	200	0.33 0.90	66.00
10	अनुरक्षण कार्य प्रथम वर्ष-	8 माह	-	-	-	8 माह	1093.50	8748.00
11	अनुरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष से दस वर्ष तक-	9 वर्ष	-	-	-	108 माह	1093.50	118098.00
12	ट्री गार्ड में खाद कीटनाशक दवा, आदि-	-	-	-	-	-	L.S	2000.00
13	अन्य व्यय - फोटोग्राफी यन्त्र संचयन आदि-	-	-	-	-	-	L.S	~1000.00
	योग प्रथम चरण							199999.46

2.000,00.00

पण वक्षारोपण हेतु आगणित कल व्यय प्रति है 0 = 2,000,00.00

पथ वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति हे०
= 2,000.00.00
= 6.9538 X 2,000.00.00
= 1390760.00

Dr. A. K. Singh

कलेसिंह

प्रभागीय वनाधिकारी

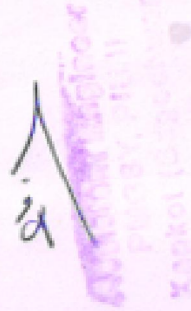
परियोजना का नाम

:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से बगर मोटर मार्ग (9.934 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय

पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी 219..... कि०मी० है।


प्रभारी वन अधिकारी
बागेश्वर वन अधिकारी कार्यालय

परियोजना का नाम

:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि.0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग (9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।


AN




प्रभारी वन अधिकारी
बागेश्वर वन विभाग, बागेश्वर

Additional Director
Forest Deptt.
Rampur (Uttar Pradesh)

परियोजना का नाम

:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग, के कि०मी० 2 से से बघर मोटर मार्ग (लम्बाई 9.934 किमी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अभिशाषी अभियन्ता

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

बागेश्वर

विलास बागेश्वर

परियोजना का नाम:-

जनपद बागेश्वर में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, तोली मोटर मार्ग के किमी० 2 से बघर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 किमी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मानक शर्तों को मान्य किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना हेतु दी गयी समस्त मानक शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसूत्री अभियन्ता

परियोजना का नाम

:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग, के कि०मी० 2 से से बघर मोटर मार्ग (लम्बाई 9.934 किमी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

टास्क फोर्स एवं भू वैज्ञानिक रिपोर्ट में दी गयी शर्तों को पालन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग टास्क फोर्स एवं भू वैज्ञानिक रिपोर्ट में दी गयी शर्तों का पालन किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिष्ठाता अभियन्ता

पिंसा प्रियंका
परियोजना

परियोजना का नाम

:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत तोली मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से बगर मोटर मार्ग (9.934 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता नियता निम्नानुसार है:-

1. ईको-क्लास श्रेणी - V
2. हरियाली का घनत्व से 0.2 प्रतिशत
3. एन०पी०वी० की दर प्रति है० - ₹ 8.45 लाख / है०
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 4.9148
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि 41.53 लाख


वन क्षेत्राधिकारी
उत्तरकाशी जिला
बागेश्वर वन प्रभाग


प्रभारी वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग

परियोजना का नाम

:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि.मी० 2 से बगर मोटर मार्ग (9.934 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की मौंग के अनुसार किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता

ग्रा० अभि० सेवा विभाग

पी० आई० यू०- 11, पी०एम०जी०एस०वाई

बागेश्वर,

सहायक अभियन्ता

ग्रा० अभि० सेवा विभाग

पी० आई० यू०- 11, पी०एम०जी०एस०वाई

बागेश्वर,

अधिसारी अभियन्ता

ग्रा० अभि० सेवा विभाग

पी० आई० यू०- 11, पी०एम०जी०एस०वाई

बागेश्वर,

परियोजना का नाम

:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत तोली मोटर मार्ग के कि.मी० 2 से बगर मोटर मार्ग (9.934 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण दस वर्षीय योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- तोली मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से बगर मोटर मार्ग

वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल:- 9.8296 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 2000 पौध प्रति है०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण
-पोडा-सिफिक

क्र. सं.	कार्य का नाम	मत्रा	इकाई	दर	प्रति	घनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	सर्वे एवं सीमांकन	1	है०	71.50	है०	71.50
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1	है०	2384.00	है०	2384.00
3.	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग)95घ०मी०प्रति है०	1	है०	14171.40	है०	14171.40
4.	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रह हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान	2	सं०	1489.30	सं०	2978.60
5.	गड़ढा खुदान (030 x 030 x 045)	2000	गड़ढे	5.00	गड़ढे	10000.00
6.	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है०	596.00	है०	596.00
7.	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	1500	पौध	4.60	है०	6900.00
8.	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	0500	है०	658.30	है०	329.15
9.	प्रवेश सीड़ी	2	है०	189.00	है०	378.00
10.	जल संरक्षण कार्य	1.5	है०	5470.00	है०	8205.00
	प्रथम चरण का योग:-					46013.65

द्वितीय चरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	मत्रा	इकाई	दर	प्रति	घनराशि
1.	गड़ढा भरान कार्य (030 x 030 x 045)	2000	गड़ढे	0.90	गड़ढे	1800.00
2.	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)कुल व्यय का 25प्रतिशत	500	पौध	5.10	पौध	2550.00
3.	पौध बुलान कार्य	2000	पौध	3.30	पौध	6600.00
4.	पौधारोपण व थालाबन्दी	2000	पौध	1.80	पौध	3600.00
5.	निराई गुड़ाई व मलिंग (दो बार)	2000	गड़ढे	2.40	गड़ढे	4800.00
6.	खाद व दवा पर व्यय	2000	गड़ढे	0.60	गड़ढे	1200.00
7.	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय	2000	है०	3049.00	है०	3049.00
8.1	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	259.00	है०	259.00
8.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाद के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	1	है०	259.00	है०	259.00
8.	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	365.00	है०	365.00
	अ - प्रशिक्षण	1	है०	198.00	है०	198.00
	ब - प्रोत्साहन	1	है०	198.00	है०	198.00
9.	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध बुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार-प्रसार एवं डोक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	1-50	है०	764.50	है०	1146.75
	द्वितीय चरण का योग:-					25826.75

तृतीय चरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	मत्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12माह	1	है०	5300.00	है०	5300.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	644.00	है०	644.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मी० पट्टी साफ करना	1	है०	450.00	है०	450.00
	2. 3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों का अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	1	है०	365.00	है०	365.00
	अ- प्रशिक्षण					
	ब- प्रोत्साहन	1	है०	200.00	है०	200.00
	तृतीय चरण योग:-					6959.00

चतुर्थ चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	5200.00	है०	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	2114.00	है०	2114.00
	चतुर्थ चरण योग:-					7314.30

पंचम चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	5200.00	है०	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	2114.00	है०	2114.00
	पंचम चरण योग:-					7314.30

षष्ठम चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	5200.00	है०	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	2114.00	है०	2114.00
	षष्ठम चरण योग:-					7314.30

सप्तम चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	5200.00	है०	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	2114.00	है०	2114.00
	सप्तम चरण योग:-					7314.30

अष्टम चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	5200.00	है०	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	2114.00	है०	2114.00
	अष्टम चरण योग:-					7314.30

नवम चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	5200.00	है०	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	2114.00	है०	2114.00
	नवम चरण योग:-					7314.30

दसम चरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	मत्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त दसम वर्ष रख रखाव व अनुक्षण कार्य 12 माह	1	है०	5200.00	है०	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	2114.00	है०	2114.00
दसम चरण योग:-						7314.30

दसम वर्ष रखरखाव सहित व्यय का प्राकलन

क्र० सं०	वर्ष का नाम	प्रति है० व्यय
1-	प्रथम चरण	46013.65
2-	द्वितीय चरण	25826.75
3-	तृतीय चरण	6959.50
4-	चतुर्थ चरण	7314.30
5-	पंचम चरण	7314.30
6-	षष्ठम चरण	7314.30
7-	सप्तम चरण	7314.30
8-	अष्टम चरण	7314.30
9-	नवम चरण	7314.30
10-	दशम चरण	7314.30
कुल व्यय		130000.00

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है० = 130000.00
 परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल = 4.9148 है० x 2 = 9.8296 है०।
 दुगने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि = 9.8296 x 130000.00 = **1277848.00**


 वन क्षेत्राधिकारी
 वनो क्षेत्राधिकारी
 लोहराखेत
 बागेश्वर वन प्रभाग


 प्रमाणीय वन अधिकारी
 बागेश्वर वन प्रभाग
 वनो क्षेत्राधिकारी


 AKE

Assistant Engineer
 PMGSY, PIU II
 Kapkot (Bageshwar)

परियोजना का नाम - जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से बघर मोटर मार्ग (लम्बाई 9.934 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, तोली मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से बघर मोटर मार्ग (लम्बाई 9.934 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु अर्जित वन पंचायत भूमि तथा सिविल एवं सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 4.914 है० है, के हस्तान्तरण मामले में दुगने क्षेत्रफल 9.828 है० भूमि तहसील कपकोट के चौड़ा सिविल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है ।


कनिष्ठा अभियन्ता
ग्रा०अ०से०, पी०आई०यू०- I I,
पी०एम०जी०एस०वाई०,
बागेश्वर (क्षेत्र-कपकोट)


सहायक अभियन्ता,
ग्रा०अ०से०, पी०आई०यू०- I I,
पी०एम०जी०एस०वाई०,
बागेश्वर (क्षेत्र-कपकोट)


राजेंद्र सिंह
क्षेत्र-कपकोट
तहसील-बागेश्वर


राजेंद्र सिंह
क्षेत्र-कपकोट
तहसील-बागेश्वर


Subodh
जिलाधिकारी, Baghat
Kadda


प्रथमीय वनाधिकारी
प्रभुजीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर


वन क्षेत्राधिकारी
उप क्षेत्राधिकारी
लोशियर वन क्षेत्र कपकोट

जिलाधिकारी

1/2

1/2/2

वर

परियोजना का नाम

:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग, के कि०मी० 2 से से बघर मोटर मार्ग (लम्बाई 9.934 किमी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सीमा पिलरों पर होने वाले व्यय को वहन करने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में आर०सी०सी० पिलरों द्वारा चिन्हीकरण हेतु होने वाला व्यय प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अभिजासी अभियन्ता

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर कन्ड : बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम

:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से बगर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

फैक्ट सीट

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० मी)-

वन पंचायत - 0.9644 है०

सिविल सोयम भूमि - 3.9504 है०

निजी भूमि - 3.0780 है

योग - 7.9928 है०

2. प्रस्तावक विभाग का नाम

- ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०यू०-II, पी०एम०जी०एस०वाई०, कपकोट, बागेश्वर

3. वन प्रभाग का नाम

- बागेश्वर वन प्रभाग।

4. प्रस्ताव बाइडिंग किया गया है

- हाँ/नहीं

5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है

- हाँ/नहीं

6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है।

- हाँ/नहीं

7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है।

- हाँ/नहीं

8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है।

- हाँ/नहीं

9. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है

- हाँ/नहीं

10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है।

- हाँ/नहीं

11. बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है।

- हाँ/नहीं

12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है

- हाँ/नहीं

13. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है।
- ☒ नहीं
14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का - ☒ नहीं घनत्व सही है
15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है
- ☒ नहीं
16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को - ☒ नहीं दर्शाया गया है
17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है
- ☒ नहीं
18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की - ☒ नहीं दृष्टि से महत्वपूर्ण है
19. प्रस्तावित क्षेत्र अस्कोट मृग विहार का हिस्सा है यदि ☒ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है
- ☒ नहीं
20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही - ☒ नहीं भरा गया है
21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)
- ☒ नहीं
22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की - ☒ नहीं भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है
23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दू किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है
- ☒ नहीं
24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) - ☒ नहीं अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है
25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये।
- ☒ नहीं
26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं
- ☒ नहीं
27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का - ☒ नहीं कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये)

28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) - हाँ/नहीं (क्षे0 5 है0 से कम है।)

29. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है - हाँ/नहीं

30. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - हाँ/नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नहीं

31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ/नहीं

32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है - हाँ/नहीं

33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं

35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हाँ/नहीं

36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैंक्ट शीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है।

कनिष्ठ अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0-11 पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0-11 पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

अधिशप्री अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0-11 पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

प्रभागीय ~~धर्म~~ अधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की स्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये)

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षर:
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

प्रपत्र-2.4

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

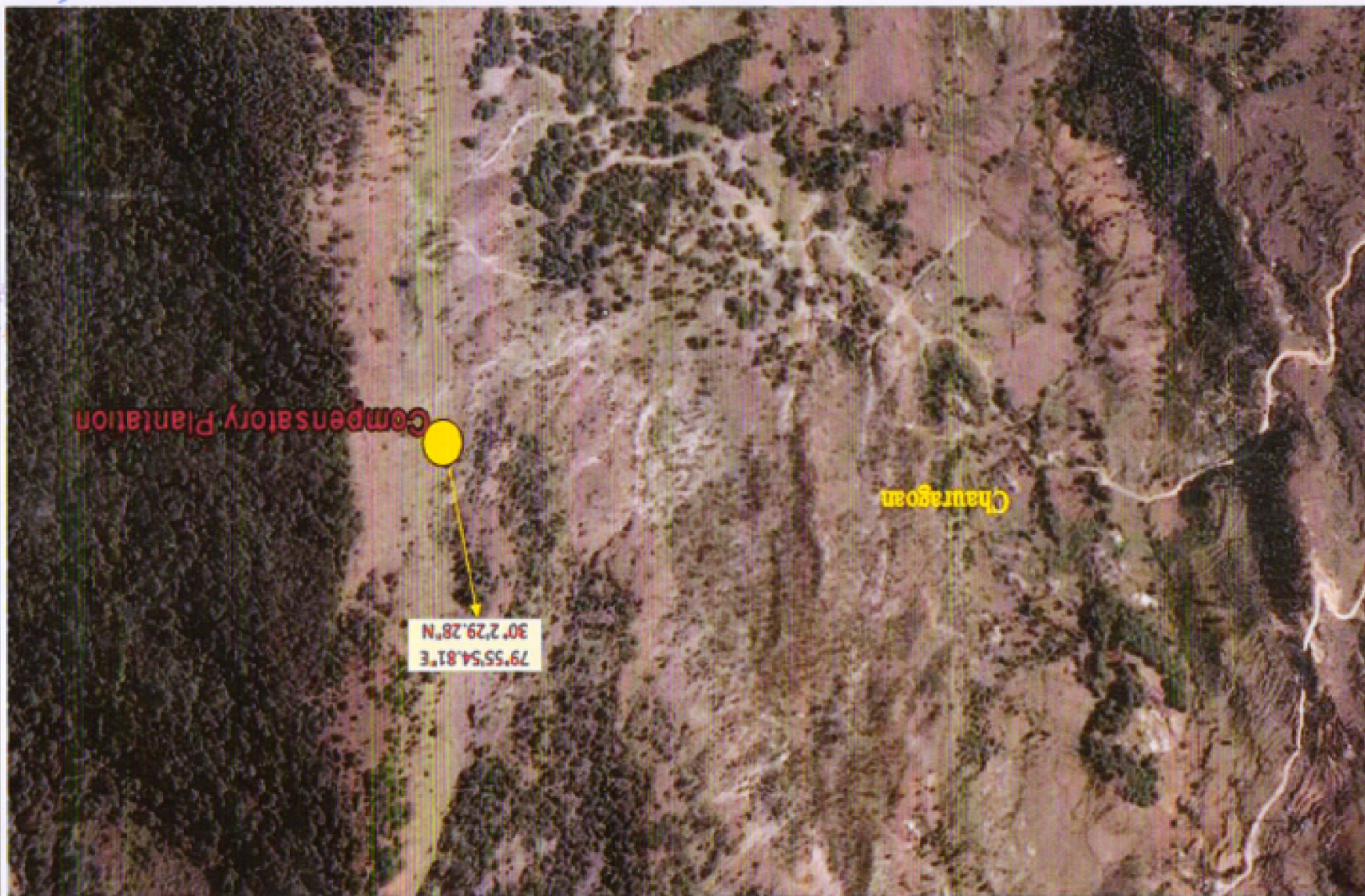
- 18- राज्य सरकार की सिफारिश
(उपर्युक्त भाग-11 या भाग-111 या भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विषिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षर:
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

गूगल मैप :- जगपद बागेश्वर में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तेली मोटर मार्ग 6, कि० मी० 2 से बागर मोटर मार्ग हेतु

संविपूषक प्रसारण स्थल ।



Legend



Compensatory Plantation Vill- Chauraguan Civil

RES. (BAGESHWAR)

ASSISTANT ENGINEER

Assistant Engineer

PMG- III

PMG- III

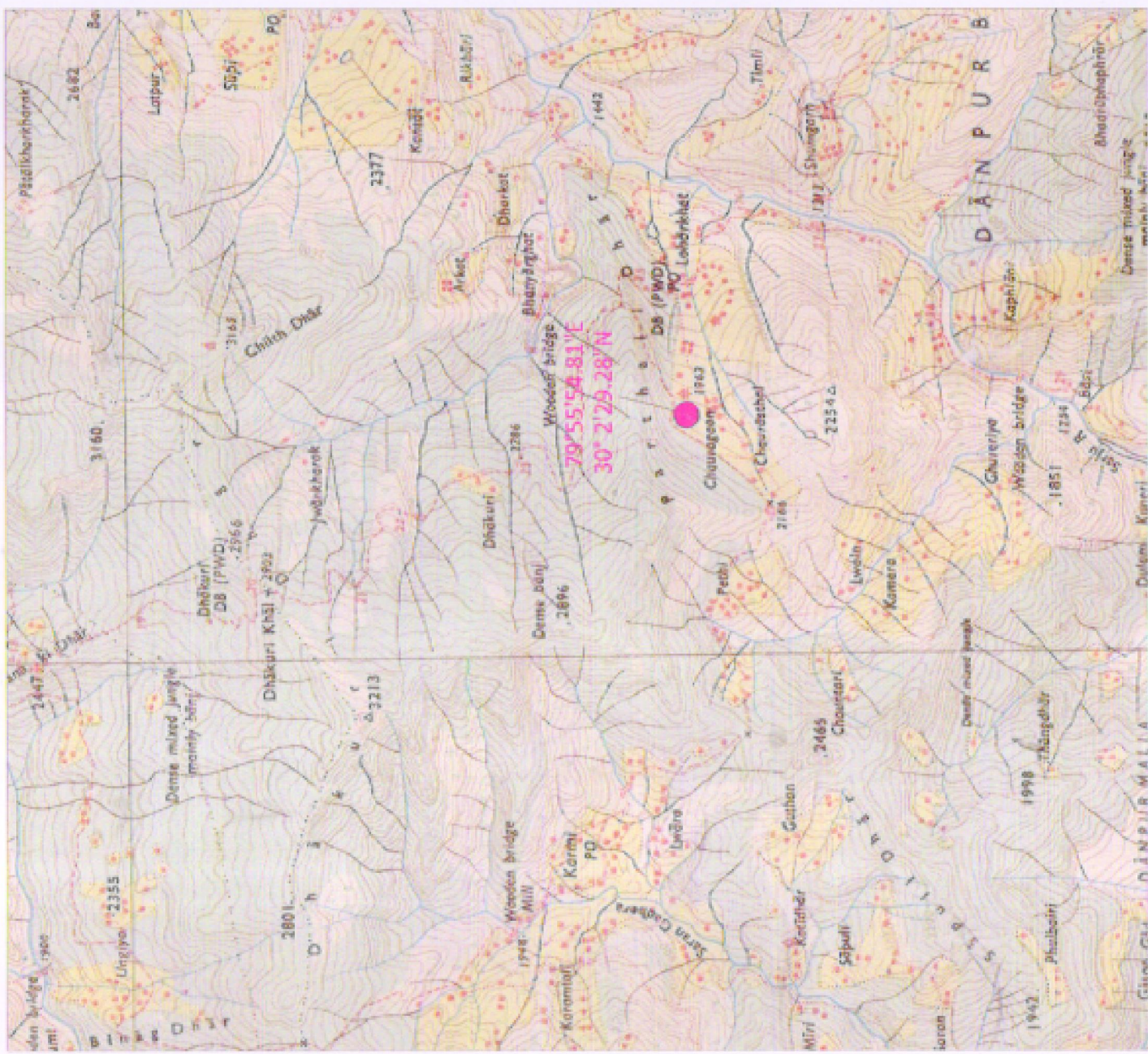
Executive Engineer

PMGSY, PU II

Kapkot (Bageshwar)

Kapkot (Bageshwar)

परियोजना का नाम :-जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि० मी० २ से बगर मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण स्थल।



SCALE:-1:50,000

LEGENT

01. Compensatory Plantation ●

J.E.
ADDITIONAL ASSISTANT ENGINEER

RES, PMGSY (PMU-II)
KAPKOT (BAGESHWAR)

Assistant Engineer
P. MGSY

Kapkot (Bageshwar)

E.E.
Executive Engineer
PMGSY, PMU II

Kapkot (Bageshwar)

प्रमोदीय नमस्कारिणी
बागेश्वर